प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या : NRHM/SPMU/29 /2008-09/2346 दिनांक : 24.10.2008

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं के लिये **"सलोनी–स्वस्थ किशोरी योजना"** का प्रारम्भ।

महोदय,

1.0 किशोरावस्था एक अत्यन्त संवेदनशील आयुवर्ग है, जिसमें किशोरी बालिका में बहुत से शारीरिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं तथा इस आयु वर्ग को इन किटिकल चुनौतियों का सामना करने के लिये समुचित परामर्श एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश में किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य स्तर भी असंतोषजनक है तथा 50 प्रतिशत से अधिक किशोरियां रक्तअल्पता से ग्रस्त हैं। इसका मुख्य कारण कुपोषण, पेट में कीड़े होना तथा बार–बार संकमण होना है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए किशोरियों को स्वास्थ्य शिक्षा, वैयक्तिक स्वच्छता एवं पोषण सम्बन्धी परामर्श तथा उनके स्वास्थ्य स्तर में सुधार हेतु **"सलोनी" स्वस्थ किशोरी योजना** प्रारम्भ की जा रही है।

2.0 **योजना का स्वरूप**

इस योजना के अन्तर्गत किशोरियों (10–19 आयु वर्ग) को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण सम्बन्धी परामर्श दिया जायेगा, प्रत्येक छः माह में डि–वर्मिंग की गोली खिलाई जायेगी और रक्त अल्पता दूर करने के लिए साप्ताहिक रूप से आई0एफ0ए0 की गोलियां खिलाई जायेंगी। यह कार्यक्रम स्कूल जाने वाली एवं स्कूल न जाने वाली दोनों वर्गों की किशोरियों के लिए संचालित किया जायेगा।

3.0 **जनपदीय लक्ष्य**

स्कूल जाने वाली किशोरी वर्ग के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में किशोरी आयु वर्ग (10 से 19 वर्ष) हेतु संचालित समस्त कस्तूरबा गांधी जूनियर हाईस्कूल, जूनियर गर्ल्स हाईस्कूल तथा गर्ल्स हाईस्कूल उक्त योजना से आच्छादित किये जायेंगे। राज्य स्तर पर उपलब्ध सूचना के आधार पर स्कूल जाने वाली किशोरियों के जनपदीय लक्ष्य **संलग्नक–1** में दिये गये हैं। कालान्तर में जनपद स्तर पर स्कूलों के चिन्हांकन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त लक्ष्यों को तद्नुसार संशोधित कर दिया जायेगा।

A.H. file no. 29

स्कूल न जाने वाली किशोरियों के वर्ग हेतु प्रथम चरण में यह कार्यक्रम ऐसे जनपद/विकास खण्ड/गांव में ही चलाया जायेगा जहॉ चिन्हित स्वैच्छिक संस्थाओं ने कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए सहमति दी है। **संलग्नक–2** में दिये गये विवरण के अनुसार इस वर्ष यह कार्यक्रम लगभग 10,000 गांव में प्रारम्भ किया जायेगा और प्रत्येक गांव में अनुमानित 50 स्कूल न जाने वाली किशोरियों की संख्या के आधार पर लगभग 5 लाख किशोरियों को योजना से लाभान्वित किया जायेगा।

4.0 कार्यक्रम की संरचना हेतु कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

4.1 राज्य स्तरीय कार्यशाला

दिनांक 25 अक्टूबर, 08 को लखनऊ में जनपदीय अधिकारियों के Sensitization हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा से प्रतिभागियों को अवगत कराया जायेगा एवं जनपदों में कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश दिये जायेंगे। इस कार्यशाला में राज्य स्तरीय विभिन्न राजकीय विभागों के अधिकारी, विकासशील संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं प्रत्येक जनपद से नोडल अधिकारी–किशोर स्वास्थ्य एवं जनपदीय कम्युनिटी मोबिलाइजर द्वारा भाग लिया जायेगा। इस कार्यशाला में पोषण, वैयक्तिक स्वच्छता, रक्त अल्पता तथा अन्य सम्बन्धित बिन्दुओं पर भी सत्र आयोजित किये जायेंगे। इस कार्यशाला के आयोजन एवं इसमें भाग लेने हेतु निर्देश अलग से प्रसारित किये जा चुके हैं।

4.2 राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रत्येक जनपद से दो महिला चिकित्साधिकारियों को इस कार्यक्रम में राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रकार से प्रशिक्षित महिला चिकित्साधिकारी अपने जनपद में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगी। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन बैच में **दिनांक 4, 5 एवं 6 नवम्बर 2008** को लखनऊ में आयोजित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में जनपदों को नामांकन एवं भाग लेने के सम्बन्ध में निर्देश अलग से दिये जा चुके हैं।

4.3 जनपद स्तरीय कार्यशाला

प्रत्येक जनपद में दिनांक **10 से 15 नवम्बर, 08** के मध्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जनपद स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की जायेगी, जिसमें जनपद स्तरीय स्वास्थ्य, आई0सी0डी0एस0, पंचायत, शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान तथा महत्वपूर्ण एन0जी0ओ0 के साथ–साथ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक पी0एच0सी0, सी0डी0पी0ओ0, एस0डी0आई0 एवं जनपद से इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित महिला चिकित्साधिकारी भी भाग लेंगी।

जनपद स्तरीय कार्यशाला में निम्न कार्यवाही की जायेगी :

- जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा सभी प्रतिभागियों को कार्यक्रम के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी जायेगी।

- यथासम्भव पोषण विशेषज्ञ द्वारा भी कार्यशाला को सम्बोधित किया जायेगा और किशोरियों की पोषण सम्बन्धी समस्याओं एवं उनसे निबटने के उपायों के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी।
- विकास खण्ड स्तरीय कार्यशालाओं हेतु कार्यक्रम अन्तिम किया जायेगा।

उपरोक्त आधार पर जनपद स्तरीय कार्यशाला हेतु एक सुझावित रूपरेखा **संलग्नक–3** पर है।

4.4 **विकास खण्ड स्तरीय माइक्रो प्लानिंग (कार्य योजना)**

(अ) प्रत्येक जनपद में योजना के संचालन हेतु विकास खण्ड स्तर पर माइक्रो प्लान तैयार किया जायेगा। यह कार्य ब्लॉक प्रभारी चिकित्साधिकारी के सामान्य पर्यवेक्षण में सम्बन्धित एच0ई0ओ0 द्वारा किया जायेगा और जिन विकास खण्डों में एच0ई0ओ0 नहीं हैं वहां पर यह कार्य प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा स्वयं सम्पादित किया जायेगा।

(ब) प्रत्येक विकास खण्ड पर यह कार्यशाला **15 से 30 नवम्बर 2008** के मध्य आयोजित की जायेंगी जिसमें विकास खण्ड स्तरीय चिकित्साधिकारी, एच0वी0, मुख्य उप केन्द्र की ए0एन0एम0, सी0डी0पी0ओ0, आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम की समस्त मुख्य सेविकायें, शिक्षा विभाग के विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी एवं सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाचार्य भाग लेंगे। यदि जनपद में स्कूल न जाने वाली किशोरियों के लिए भी कार्यक्रम संचालित होना है (**संलग्नक–2** में दिये गये विवरण के अनुसार) तो सम्बन्धित स्वैच्छिक संस्था के जनपद स्तरीय/विकास खण्ड स्तरीय प्रतिनिधि भी इस कार्यशाला में भाग लेंगे। इस कार्यशाला की रूपरेखा **संलग्नक–4** पर है। इस कार्यशाला में दोनों वर्गों की किशोरियों के लिए विकास खण्ड स्तरीय कार्य योजनाएं तैयार की जायेगी।

(स) **स्कूल जाने वाली किशोरियों** से सम्बन्धित कार्य योजना का एक प्रारूप **संलग्नक–5** में दिया गया है। कार्य योजना में यह विवरण दिया जायेगा कि विकास खण्ड स्तर पर कौन से विद्यालय यौजना से आच्छादित होंगे, उनमें चिकित्सा विभाग की टीम की **छमाही** विजिट कब होगी, विद्यालय में छात्राओं की अनुमानित संख्या कितनी है जिनके लिए डिवर्मिंग की गोली एवं आई0एफ0ए0 की गोलियों की व्यवस्था की जानी होगी, एवं विकास खण्ड स्तरीय योजना के प्रचार–प्रसार हेतु क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ? स्कूल जाने वाली किशोरियों के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालयों से दो–दो अध्यापिकाओं (प्राथमिकता के तौर पर गृह विज्ञान/बायोलाजी/साइकालोजी/व्यायाम शिक्षा) को प्रशिक्षण दिया जाना है। इस कार्यशाला में उन अध्यापिकाओं का नाम तय किया जायेगा जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाना है। यह नामांकन सूची तत्काल जनपदीय नोडल अधिकारी को दी जायेगी जो राज्य स्तर पर प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठकर जनपद की समस्त अध्यापिकाओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्तिम करेंगे।

यह सुनिश्चित किया जाय कि दिसम्बर 2008 से मार्च 2009 की अवधि में मेडिकल टीम द्वारा प्रत्येक विद्यालय में एक छमाही विजिट अवश्य कर ली जाय।

उपरोक्त कार्यक्रम तथा किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करने हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की माइक्रो प्लानिंग भी विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला के दौरान कर ली जायेगी और उसके अनुसार इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा भी **संलग्नक–7** के अनुसार ही होगी।

4.7 पूर्व प्रस्तरों में दिये गये विवरण के अनुसार कार्यक्रम के निस्पादन एवं कार्यान्यवयन हेतु विस्तृत समय सारणी **संलग्नक –8** पर दी गयी है।

5.0 कार्यक्रम का संचालन

5.1 स्कूल जाने वाली किशोरियों हेतु कार्यक्रम का संचालन

(अ) विकास खण्ड स्तरीय कार्ययोजना के अनुसार **नियत दिवस** पर महिला चिकित्सा अधिकारी अथवा एल0एच0वी0 तथा एक ए0एन0एम0 की टीम सम्बन्धित विद्यालय में जाकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किशोरी बालिकाओं को सम्बोधित करेंगी जिसमें किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों, पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अन्य सम्बन्धित बिन्दुओं पर चर्चा/परिचर्चा भी की जायेगी। इस परिचर्चा में विद्यालय की प्रशिक्षित अध्यापिकाओं द्वारा भी भाग लिया जायेगा। उपरोक्त परिचर्चा के उपरान्त चिकित्सा टीम द्वारा अपने सम्मुख सभी किशोरियों को डि–वर्मिंग की गोली खिलाई जायेगी और प्रत्येक किशोरी के लिए आगामी छः माह के लिए साप्ताहिक आवश्यकता के अनुसार आई0एफ0ए0 की गोलियां प्रधानाचार्य को उपलब्ध कराई जायेंगी। महिला चिकित्सा अधिकारी/एच0वी0 द्वारा यह स्पष्ट किया जायेगा कि यह गोली कैसे खानी है कब खानी है तथा इसके सम्भावित साइड इफैक्ट क्या हो सकते हैं ?

(ब) इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने के लिए विद्यालय से 3 छात्राओं को चिन्हित किया जायेगा जिन्हें क्रमशः सलोनी सभा संयोजक, सलोनी सभा सह–संयोजक तथा सलोनी सभा कोषाध्यक्ष का नाम दिया जायेगा।

(स) प्रधानाचार्य द्वारा सप्ताह का एक दिन निश्चित किया जायेगा जिस दिन प्रत्येक कक्षा की अध्यापिका द्वारा भोजनावकाश के समय प्रत्येक छात्रा को एक–एक आई.एफ.ए. की गोली अपने सामने खिलाई जायेंगी। इस कार्यक्रम में सलोनी सभा के पदाधिकारी सहयोग करेंगे।

(द) सलोनी सभा के पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह एक **सलोनी सभा** का आयोजन किया जायेगा जिसमें विभिन्न चर्चा परिचर्चा एवं कम्पिटिशन आदि के माध्यम से किशोरी स्वास्थ्य एवं पोषण से सम्बन्धित बिन्दुओं पर जानकारी बांटी जायेगी एवं प्रशिक्षित अध्यापिकाओं द्वारा छात्राओं की जिज्ञासा का निवारण एवं समस्याओं का समाधान किया जायेगा।

(य) इन सभाओं के संचालन हेतु प्रत्येक स्कूल को कन्टिन्जेन्सी के रूप में छः माह हेतु रू0 12,00/– की धनराशि भी प्रदान की जायेगी जो चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा अपनी विजिट के समय प्रधानाचार्या को दी जायेगी। इस धनराशि से सलोनी सभा

(य) प्रत्येक गांव में सलोनी सभाओं के मासिक आयोजन के लिए 100 रू0 प्रति सभा की दर से कन्टिन्जेन्सी धनराशि आशा के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी जो उक्त धनराशि से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी।

(र) यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक आशा को अपने कार्य क्षेत्र में दो मासिक बैठकें करनी हैं जिनके लिए उन्हें 100 रू0 प्रति बैठक की दर से मानदेय दिये जाने की व्यवस्था है। **सलोनी सभा की उपरोक्त बैठक उन दो में से एक बैठक मानी जायेगी और निर्धारित दर पर आशाओं को मानदेय देय होगा।** यह मानदेय किशोरी सभा की बैठक की उपस्थिति पंजिका जिसमें किशोरियों के हस्ताक्षर हों, संलग्न किये जाने पर देय होगा, यदि कम से कम 10 किशोरियां उस बैठक में उपस्थित रही हों। जिस बैठक में स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित हागे,उसमें उनके द्वारा भी उपस्थिति पंजिका को प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

6.0 **वित्तीय व्यवस्था**

(अ) कार्यक्रम के संचालन के लिए आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों हेतु वित्तीय व्यवस्था के मानक **संलग्नक– 9** पर दिये गये हैं।

(ब) उपरोक्त मानकों को दृष्टिगत रखते हुए तथा **संलग्नक–1 एवं 2** में दिये गये लक्ष्यों के आधार पर जनपदवार वित्तीय स्वीकृति **संलग्नक–10** के अनुसार दी जा रही है। यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त स्वीकृति विद्यालयों की अनुमानित संख्या एवं स्कूल न जाने वाली किशोरी वर्ग के लिए आच्छादित किये जाने वाले गांवों की संख्या के आधार पर है। **सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह जनपदीय कार्ययोजना के अन्तिम होने के उपरान्त विलम्बतम 15 दिसम्बर 2008 तक इस वित्तीय वर्ष में लिये जाने वाले विद्यालयों की संख्या एवं गांवों की संख्या की सूचना एस0पी0एम0यू0 को भेजेंगे जिसके आधार पर आवश्यकतानुसार वित्तीय स्वीकृति को पुनरीक्षित किया जा सकेगा।**

(स) इस कार्यक्रम पर होने वाला व्यय आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

(द) इस कार्यक्रम के लिए डि–वर्मिंग की गोलियों का क्रय जनपद स्तर पर किया जायेगा और आई0एफ0ए0 की गोलियाँ राज्य स्तर से क्रय कर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

7.0 **आई0ई0सी0 गतिविधियों** : कार्यक्रम के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु अध्यापिकाओं, सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के लिए सूचना–सामग्री (ब्रोशर) प्रशिक्षण हेतु सामग्री, छात्राओं के लिए एक पृष्ठ का लीफलेट, लोगो, पोस्टर्स आदि राज्य स्तर पर विकसित एवं मुद्रित कराकर जनपदों को भेजे जायेंगे।

8.0 **कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण**

प्रत्येक स्कूल से प्रधानाचार्या द्वारा माह में संचालित की जाने वाली गतिविधियों की पूर्ण सूचना प्रपत्र–1 पर हैल्थ एजुकेशन आफिसर को उपलब्ध कराई जायेगी। स्कूल न जाने वाली किशोरियों के सम्बन्ध में आशा द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत संचालित की

जाने वाली गतिविधियों की त्रैमासिक सूचना प्रपत्र–2 पर हैल्थ एजुकेशन आफिसर को उपलब्ध कराई जायेगी। यह सूचना एन0जी0ओ0 प्रतिनिधि द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी की जायेगी।

ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम के अनुश्रवण का पूरा दायित्व ब्लाक एजूकेशन आफिसर का होगा तथा वह निर्धारित प्रारूप पर स्कूल जाने वाली तथा स्कूल न जाने वाली दोनों वर्गों की गतिविधियों की पूरी सूचना प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ब्लाक पी0एच0सी0 द्वारा प्रपत्र–3 पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराइ जायेगी । मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से प्रेषित की जाने वाली मासिक सूचना प्रपत्र–4 पर राज्य स्तर को प्रेषित की जायेगी। आशा द्वारा गांव में चलाये जाने वाले कार्यक्रम के लिए पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य मुख्य सेविका तथा ए0एन0एम0 द्वारा भी किया जायेगा।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में आप से अपेक्षा की जाती है कि आप अपने कुशल मार्गदर्शन में जनपद में उक्त कार्यक्रम पूर्ण कटिबद्धता से कियान्वित करेगें

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय

ह0/ (राजीव कपूर)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या : NRHM/SPMU/29 /2008-09/2347-11 दिनांक : .10.2008

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा
3. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा
4. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
5. महानिदेशक परिवार कल्याण,परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय आयुक्त उ0प्र0।
7. समस्त जिला अधिकारी उ0प्र0 ।
8. निदेशक–माध्यमिक शिक्षा/ निदेशक–बेसिक शिक्षा।
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
10. प्रबन्धक, समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0आर0एच0एम0
11. प्रबन्धक, समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0आर0एच0एम0
12. समस्त सम्बन्धित सहयोगी संस्थायें

ह0/ (राजीव कपूर)
मिशन निदेशक

A.H. file no. 29

संलग्नक–3

जनपद स्तरीय कार्यशाला

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 6 से 15 नवम्बर, 2008 के मध्य जनपद स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी

कार्यशाला के प्रतिभागी

	संख्या
जिलाधिकारी – अध्यक्ष	1
मुख्य चिकित्साधिकारी – संयोजक	6
अतिरिक्त मुख्य चिकित्साधिकारी/उप चिकित्साधिकारी	2
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरूष चिकित्सालय/जिला महिला चिकित्सालय	2
प्रशिक्षित चिकित्साधिकारी	1
जिला परियोजना अधिकारी, आई0सी0डी0एस0	2
बी0एस0ए0/डी0आई0ओ0एस0/डी0आई0जी0एस0/एस0एस0ए0	1
जिला पंचायत राज अधिकारी	3
जिला कार्यकम प्रबन्धन इकाई	12
प्रभारी चिकित्साधिकारी, ब्लाक पी0एच0सी0 (औसत)	2
जनपद स्तरीय स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि	12
सी0डी0पी0ओ0	12
एस0डी0आई0	

इस प्रकार जनपद स्तरीय कार्यशाला में लगभग 50 से 60 प्रतिभागी भाग लेंगे।

जनपद स्तरीय कार्यशाला जनपदीय आई0एम0ए0 हाल अथवा अन्य समुचित स्थान पर आयोजित की जायेगी जहां 50–60 व्यक्तियों के बैठने एवं पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन की व्यवस्था हो सके।

मण्डलीय मुख्यालय वाले जनपद की कार्यशाला में मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मण्डलीय कार्यकम प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0 भी भाग लेंगे।

कार्यशाला हेतु एजेण्डा

• कार्यशाला का शुभारम्भ एवं उद्घाटन	जिलाधिकारी
• स्वागत भाषण	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
• कार्यशाला के उद्देश्य एवं कियान्वयन सम्बन्धी दिशा निर्देशों पर प्रस्तुतीकरण	कार्यकम के नोडल अधिकारी
• पोषण का महत्व एवं संतुलित आहार के सम्बन्ध में जानकारी	जनपद में उपलब्ध पोषण विशेषज्ञ द्वारा
• जनपदीय कार्ययोजना का निर्माण	सभी सम्बन्धित द्वारा

कार्यशाला में निम्न बिन्दुओं पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा :

- विकास खण्ड स्तरीय कार्यशालाओं की तिथियां
- ब्लाक स्तर पर होनें वाली कार्यशाला में विशेषज्ञ के रूप में दो प्रशिक्षित महिला चिकित्सा अधिकारी/जनपदीय कम्युनिटी मोबिलाईजर/जनपदीय नोडल अधिकारी में से एक व्यक्ति द्वारा भाग लिया जाना है जिसका रोस्टर तैयार किया जायेगा।
- विद्यालय न जाने वाली किशोरियों को आच्छादित किये जाने हेतु जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा आच्छादित ब्लाक्स एवं कार्यशाला के सम्बन्ध में सूचना अन्तिम की जायेगी।
- जनपद स्तर पर प्रस्तावित एक दिवसीय प्रशिक्षण की तिथियां अन्तिम की जायेंगी।

संलग्नक–4

विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला

1. ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में 15 से 30 नवम्बर, 2008 के मध्य ब्लाक स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी

2. कार्यशाला के प्रतिभागी –

	संख्या
ब्लाक प्रमुख – अध्यक्ष	1
प्रभारी चिकित्साधिकारी	4
क्षेत्रीय चिकित्साधिकारी	1
सी0डी0पी0ओ0	5
मुख्य सेविका	1
एस0डी0आई0	5
एल0एच0वी0	8
विद्यालयों के प्रधानाध्यापक	2
मुख्य केन्द्र की ए0एन0एम0	1
एच0ई0ओ0	1
स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधि	

इस प्रकार ब्लाक स्तरीय कार्यशाला में लगभग 30 प्रतिभागी भाग लेंगे।
कार्यशाला का आयोजन ब्लाक स्तर पर उपलब्ध समुचित स्थान वाले सभागार में किया जायेगा।

3. कार्यशाला हेतु एजेण्डा

• कार्यशाला का शुभारम्भ	ब्लाक प्रमुख
• स्वागत भाषण	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
• कार्यशाला के उद्देश्य	हैल्थ एजुकेशन आफिसर
• कार्यक्रम के कियान्वयन सम्बन्धी दिशा निर्देशों पर जानकारी	दो प्रशिक्षित महिला चिकित्सा अधिकारी/जनपदीय कम्युनिटी मोबिलाईजर/जनपदीय नोडल अधिकारी में से एक द्वारा
• पोषण का महत्व एवं चर्चा	पोषण विशेषज्ञ द्वारा

4. कार्यशाला में निम्न बिन्दुओं पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा :

- ब्लाक स्तरीय कार्य योजना तैयार किया जाना
- विकास खण्ड स्तर पर विद्यालयों हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना।
- प्रत्येक विद्यालय की दो अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण हेतु नामांकित कर सूची जनपद के नोडल अधिकारी को भेजा जाना।

संलग्नक–5

स्कूल जाने वाली किशोरी वर्ग के लिये ब्लाक स्तरीय कार्य योजना

कम संख्या	विद्यालय का नाम	चिकित्सा दल की विजिट की तिथि (प्रत्येक छमाही पर)	विद्यालय में छात्राओं की अनुमानित संख्या	आवश्यक डी–वर्मिंग की गोलियों की संख्या	6 माह हेतु आवश्यक आयरन की गोलियों की संख्या

संलग्नक–6

स्कूल न जाने वाली किशोरी वर्ग के लिये ब्लाक स्तरीय कार्य योजना

कम संख्या	आच्छादित किये जाने वाले ग्राम का नाम	ग्राम के अन्तर्गत आशाओं के नाम	ग्राम में किशोरियों की अनुमानित संख्या	आवश्यक डी–वर्मिंग गोलियों की संख्या	6 माह हेतु आवश्यक आयरन की गोलियों की संख्या

नोट–जनपदों में ब्लॉक्स तथा गॉवों की संख्या ब्लॉक में सहयेागी संस्थाओं द्वारा आच्छादित गॉवों की संख्या पर निर्भर करेगी। जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी द्वारा इसकी सही सूचना लेकर कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

संलग्नक–7

जनपद स्तर पर विद्यालय की अध्यापिकाओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण की कार्ययोजना

प्रशिक्षक	राज्य स्तर पर प्रशिक्षित दो चिकित्साधिकारी एवं जनपदीय कम्युनिटी मोबिलाइजर
प्रतिभागी	प्रत्येक चयनित विद्यालय से दो अध्यापिकाएं (गृह विज्ञान, बायोलाजी, साइकोलाजी, व्यायाम शिक्षा) होंगी। हेल्थ एजुकेशन आफिसर, ब्लाक स्तरीय स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधि

प्रत्येक ब्लॉक से लगभग 14–16 प्रतिभागी प्रशिक्षित किये जाने हैं तथा प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में 35–40 प्रतिभागी होंगे। इस प्रकार एक सत्र में 2–3 ब्लाक्स को आच्छादित किया जा सकेगा।

प्रशिक्षण हेतु स्थल	जनपद मुख्यालय अथवा ऐसे ब्लाक पर जहां सुविधापूर्वक प्रशिक्षण दिया जा सके तथा 40 व्यक्तियों हेतु बैठने एवं पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन की व्यवस्था की जा सके, को चयनित किया जाय।
समय	प्रातः 10 से सायंकाल 5 बजे तक

प्रस्तावित एजेण्डा

राज्य स्तर पर दिनांक 4, 5 एवं 6 नवम्बर 08 को संचालित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुरूप ही जनपदीय प्रशिक्षण का एजेण्डा एवं सामग्री तैयार की जायेगी।

मुख्य बिन्दुः–

- प्रशिक्षण के उद्देश्य
- किशोरी आयुवर्ग की चुनौतियॉ
- किशोरावस्था में पोषण एवं वैयक्तिक स्वच्छता का महत्व
- किशोरावस्था की मुख्य समस्याओं का समाधान

संलग्नक–8

सलोनी स्वस्थ किशोरी योजना

समय सारिणी

गतिविधि	*दायित्व*	*अंतिम तिथि*
राज्य स्तरीय कार्यशाला	SPMU	**25-Oct-08**
आयरन की गोलियों की आपूर्ति	SPMU	**End of Oct-08**
राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	SPMU	**4,5 & 6 Nov-08**
जनपद स्तरीय कार्यशाला	CMO / Nodal Officer	**10 to 15 Nov-08**
जनपदीय स्वास्थ्य समिति द्वारा डी–वर्मिंग गोलियों का क्रय	CMO	**By 20 Nov-08**
विकास खण्ड स्तरीय कार्ययोजना निर्माण कार्यशाला	CMO / Nodal Officer	**15 to 30 Nov-08**
जनपद स्तरीय कार्ययोजना का एस0पी0एम0यू0 को प्रेषण	CMO / Nodal Officer	**30-Nov-08**
जनपद स्तरीय प्रशिक्षण	Nodal Officer	**25 Nov to 5 Dec-08**
आशा एवं ऑगनवाड़ी हेतु विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला	Partner NGO for District / Block MO I/c	**15 to 30 Nov-08**
सलोनी स्वस्थ किशोरी योजना का शुभारम्भ	CMO	**08-Dec-08**

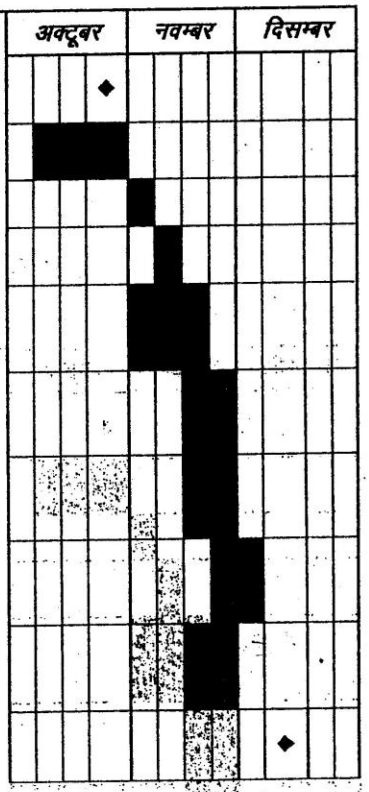

संलग्नक–9 अ

वित्तीय व्यवस्था

कार्यशालाओं हेतु बजट

1. जनपद स्तरीय कार्यशाला

प्रतिभागी–50

क0सं0	मद	दर (रु0)	कुल धनराशि (रु0)
	–भोजन व्यवस्था	100/व्यक्ति	– 5,000/–
	–स्टेशनरी (फोल्डर, पैड एवं पेन)	20/व्यक्ति	– 1,000/–
	–कन्टीन्जेन्सी		– 1,500/–
	कुल		रु0 7,500/–

2. विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला

प्रतिभागी–30

क0सं0	मद	दर (रु0)	कुल धनराशि (रु0)
	–भोजन व्यवस्था	75/व्यक्ति	2,250.00
	–स्टेशनरी (फोल्डर, पैड एवं पेन)	20/व्यक्ति	600.00
	–कन्टीन्जेन्सी	–	1,150.00
	कुल		रु0 4,000.00

संलग्नक–9 ब

प्रशिक्षण हेतु बजट

1.जनपद स्तरीय प्रशिक्षण

स्थल –जनपद स्तर पर समुचित स्थान
अवधि –एक दिवसीय
प्रतिभागी –लगभग 40 (चिन्हित स्कूलों से 2 अध्यापिकायें, ब्लॉक हेल्थ एजूकेशन ऑफीसर तथा जिन ब्लॉक्स में एन0जी0ओ0 गतिविधि है, वहॉ से एन0जी0ओ0 प्रतिनिधि–**इस प्रकार अनुमानित 3 ब्लॉक प्रति सत्र)**
प्रशिक्षक –2 प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी

क0सं0	मद	दर (रु0)	कुल धनराशि (रु0)
1.	प्रतिभागियों को टी0ए0	50.00	2,000.00
2.	प्रशिक्षकों को मानदेय (2 व्यक्तियों हेतु)	200.00	400.00
3.	भोजन व्यवस्था	75.00	3,000.00
4.	स्टेशनरी	20.00	800.00
5.	कन्टीन्जेन्सी	600.00	600.00
	कुल धनराशि प्रति सत्र		**6,800.00**

2.ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण

केवल उन्हीं ब्लॉक्स में चलाया जायेगा, जहॉ सहयोगी संस्थाओं द्वारा सहयोग की इच्छा व्यक्त की गई है। ब्लॉक स्तर पर एन0जी0ओ0 प्रतिनिधि द्वारा ब्लॉक के उन गॉवों की आशा/ऑगनवाड़ी वर्कर को एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जहॉ उनके कर्मी कार्यरत हैं। एक सत्र में लगभग 30–40 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस प्रकार लगभग 15–20 गॉवों की आशा/ऑगनवाड़ी वर्कर को एक सत्र में प्रशिक्षित किया जायेगा।

क0सं0	मद	दर (रु0)	कुल धनराशि (रु0)
1.	प्रतिभागियों को टी0ए0	50.00	2,000.00
2.	प्रशिक्षकों को मानदेय	200.00	200.00
3.	भोजन व्यवस्था	50.00	2,000.00
4.	कन्टीन्जेन्सी	~~300.00~~	300.00
	कुल धनराशि प्रति सत्र		**4,500.00**

इस स्तर पर प्रशिक्षण हेतु सत्रों की संख्या सहयोगी संस्था द्वारा आच्छादित गॉवों की संख्या पर निर्भर करेगी।

प्रपत्र–1

स्कूल जाने वाली किशोरियों के लिये सूचना प्रपत्र
(एच0ई0ओ0 द्वारा संकलित की जाने वाली सूचना)

विद्यालय का नाम.....प्रधानाचार्या का नाम.....

ब्लॉक..... जनपद.....वर्ष.....

क्र0 सं0	विद्यालय में रजिस्टर्ड कुल किशोरियों की संख्या	माह	किशोरियों की संख्या जिन्होंने सलोनी सभा में भाग लिया	किशोरियों की संख्या जिन्हें कीड़े की गोलियॉ दी गईं	किशोरियों की संख्या जिन्हें साप्ताहिक आयरन की गोलियॉ दी गईं

नोट–उक्त सूचना प्रत्येक माह एच0ई0ओ0 द्वारा संकलित करके प्रभारी चिकित्सा अधिकारी–ब्लॉक पी0एच0सी0 को प्रेषित की जायेगी।
विद्यालय स्तर पर उक्त कार्य के लिये एक रजिस्टर बनाया जायेगा, जिसमें प्रतिमाह की पूरी सूचना भरी जायेगी तथा इसके रख–रखाव का दायित्व संयोजक–सलोनी सभा का होगा।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रधानाचार्या
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी–ब्लॉक पी0एच0सी0
.....

हस्ताक्षर

तिथि.....

प्रपत्र–2

स्कूल न जाने वाली किशोरियों के लिये सूचना प्रपत्र
(एच0ई0ओ0 द्वारा संकलित की जाने वाली सूचना)

गॉव का नाम..... उपकेन्द्र का नाम.....आशा का नाम..... ऑगनवाड़ी का नाम....

ब्लॉक..... जनपद..... वर्ष.....

क0सं0	स्कूल न जाने वाली किशोरियों की संख्या	माह	किशोरियों की संख्या जिन्होंने सलोनी सभा में भाग लिया	किशोरियों की संख्या जिन्हें कीड़े की गोलियॉ दी गईं	किशोरियों की संख्या जिन्हें साप्ताहिक आयरन की गोलियॉ दी गईं

नोट–उक्त सूचना प्रत्येक त्रैमास पर क्षेत्रीय एन0जी0ओ0 द्वारा संकलित करके ब्लॉक पी0एच0सी0 स्तर पर एच0ई0ओ0 को दी जायेगी।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रतिनिधि–एन0जी0ओ0 / सहयोगी संस्था
.....

हस्ताक्षर आशा
तिथि.....

प्रपत्र–3

स्कूल जाने वाली किशोरियों के लिये सूचना प्रपत्र (ब्लॉक स्तरीय)

ब्लॉक का नाम.....जनपद का नाम.....
.....

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का नाम.....एच0ई0ओ0 का नाम.....वर्ष.....
.....

क0 सं0	विद्यालय का नाम	विद्यालय में किशोरियों की संख्या	माह	किशोरियों की संख्या जिन्होंने सलोनी सभा में भाग लिया	किशोरियों को खिलाई गई कीड़े की गोलियॉं की संख्या	किशोरियों को खिलाई गई साप्ताहिक आयरन की गोलियों की संख्या

नोट–उक्त सूचना प्रत्येक माह एच0ई0ओ0 द्वारा संकलित करके प्रभारी चिकित्सा अधिकारी–ब्लॉक पी0एच0सी0 के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

प्रतिहस्ताक्षरित
एच0ई0ओ0
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी–ब्लॉक पी0एच0सी0
.....

हस्ताक्षर

तिथि.....

प्रपत्र–4

स्कूल जाने वाली किशोरियों के लिये सूचना प्रपत्र (जनपद स्तरीय)

जनपद का नाम मुख्य चिकित्सा अधिकारी का नाम

जनपदीय नोडल अधिकारी का नाम वर्ष

क0 सं0	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक में आच्छादित विद्यालयों की संख्या	माह	किशोरियों की संख्या जिन्होंने सलोनी सभा में भाग लिया	किशोरियों को खिलाई गई कीड़े की गोलियॉ की संख्या	किशोरियों को खिलाई गई साप्ताहिक आयरन की गोलियों की संख्या

नोट–उक्त सूचना प्रत्येक माह नोडल अधिकारी द्वारा संकलित करके मुख्य चिकित्सा अधिकारी0 के माध्यम से राज्य नोडल अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

प्रतिहस्ताक्षरित
अधिकारी
मुख्य चिकित्सा अधिकारी

हस्ताक्षर जनपदीय नोडल

तिथि.....